



2026:AHC:50355

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं. - 4580 सन् 2026

रामपाल और 19 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण) : राकेश कुमार मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण) : अरूण कुमार पांडे, सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. यह तर्क दिया जाता है कि इस तथ्य के बावजूद कि वर्ष 2014 से 2019 में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में वृक्षारोपण के लिए पट्टा दिया गया था, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं किए गए थे। इसलिए, याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम के म्यूटेशन के लिए एक आवेदन दायर किया गया था।

2. यह तर्क दिया जाता है कि हालांकि याचिकाकर्ताओं द्वारा इस संबंध में एक आवेदन 10.10.2025 को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो प्रतिवादी संख्या 3 उसी पर शीघ्रता से निर्णय लेगा।

4. इस मामले को ध्यान में रखते हुए और न्याय के हित में भी, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम निस्तारण किया जाता है जिसमें याचिकाकर्ताओं को इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर प्रतिवादी संख्या 3 अर्थात् तहसीलदार, तहसील शाहबाद, जिला रामपुर के समक्ष अपनी सभी शिकायतों को अलग से प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। यदि ऐसा है, तो प्रतिवादी संख्या 3 कानून के अनुसार अगले तीन सप्ताह के भीतर, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो, इसका निर्णय लेगा।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

मार्च 12, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"